न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः— 154/2021 (पुराना नम्बर 560/2010)
जीसीएमएस नम्बर 2021/315

1. नारायणी देवी पत्नि जुगलाल (फौत)
1/1 चम्मा देवी पत्नि श्रीराम
1/2 दलीप पुत्र रामस्वरुप
1/3 संदीप पुत्र सत्यवीर
1/4 कुलदीप पुत्र सत्यवीर समस्त जाति जाट निवासी जयसिंह सर तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0
2/1. जुगलाल पुत्र भींवाराम (मृतक)
2/1 रामस्वरुप (फौत)
2/1/1 सन्तोष देवी पत्नि रामस्वरुप
2/1/2 दलीप पुत्र रामस्वरुप
2/1/3 सुशीला पुत्री रामस्वरुप
2/2 श्रीराम पुत्र जुगाराम (फौत)
2/2/1 चम्मा देवी पत्नि श्रीराम
2/2/2 सुनिल पुत्र श्रीराम
2/2/3 सुमन पुत्री श्रीराम
2/2/4 मन्जु पुत्री श्रीराम
2/2/5 राजपाल पुत्र श्रीराम
2/2/6 मुकेश पुत्री श्रीराम
2/3 सत्यवीर पुत्र जुगाराम (लापता 10 वर्षो से)
2/3/1 फुला देवी पत्नि सत्यवीर
2/3/2 कुलदीप पुत्र सत्यवीर
2/3/3 संदीप पुत्र सत्यवीर समस्त जाति जाट निवासी जयसिंह सर तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0

....................वादी

बनाम

1. मनीराम पुत्र भींवाराम (मृतक)
1/1 फूलवती पत्नि मनीराम
1/2 विनोद पुत्र मनीराम
1/3 राजेश पुत्र मनीराम
2 सुन्डाराम पुत्र भींवाराम
2/1 तीजा पत्नि सुन्डाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:25:58 IST
Reason: SelfAttested

2/2 निहालसिंह पुत्र सुन्डाराम
2/3 हवासिंह पुत्र सुन्डाराम
2/4 सरोज पुत्री सुन्डाराम
2/5 सुनिता पुत्री सुन्डाराम
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बुहाना

............प्रतिवादीगण

दावा—घोषणात्मक व खाता विभाजन एवं रिकॉर्ड दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

—: निर्णय :—

दिनांक :— 11—10—2022

वादीया की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार सेवा में पेश है—

1. यह कि वाके ग्राम जयसिंहसर तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0 स्थित भूमि ख0 न0 4 रकबा 2.66 है0, ख0न0 24 रकबा 4.47 है0, ख0न0 44 रकबा 3.30 है0, ख0न0 129 रकबा 1.13 है0, ख0न0 169 रकबा 2.15 है0, ख0न0 179/99 रकबा 0.06 है0, ख0न0 180/102 रकबा 0.22 है0 किता 7 कुल रकबा 13.99 है0 जो गत खसरा न0 2 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा, खातेदार नंबर 12 रकबा 17 बीधा 11 बिस्वा, ख0न0 60 रकबा 5 बीधा 12 बिस्वा, ख0न0 24 रकबा 18 बीधा 15 बिस्वा, ख0न0 57 रकबा 8 बीधा 11 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 55 बीधा 3 बिस्वा से निर्मित हुये है।
2. यह कि भूमि गत खसरा नंबर 12 रकबा 17 बीधा 11 बिस्वा व गत ख0न0 24 रकबा 18 बीधा 15 बिस्वा का खातेदार कास्तकार चौखा पुत्र केवल जाति जाट निवासी जयसिंहसर था। गत ख0न0 12 के हाल ख0न0 24 रकबा 4.47 है0, गत ख0न0 24 के हाल ख0न0 44 रकबा 3.30 है0 निर्मित हुये है तथा खसरा नंबर 2, 60, 57, भींवा पुत्र केवल जाट के कब्जे काश्त में थी। गत ख0न0 2 के हाल ख0न0 4 व गत ख0 नंबर 57 के हाल खसरा नंबर 169 एवं गत खसरा नंबर 60 के हाल ख0न0 178/99 व 129 है, 180/102 निर्मित हुये है। एवं चौखा एवं भींवा दोनो सगे भाई थे।
3. यह कि चौखा पुत्र केवल की मृत्यु संवत 2014 मे हुई तथा चौखा के पुत्र मातूराम की मृत्यु भी हो चुकी है। मातूराम जो वादीया का पति था सुरक्षा बल में नौकरी करता था वादीया मृतक मातूराम की बेवाह है। मृतक [illegible] की मृत्यु के बाद अपने श्वसुर चौखाराम के हिस्से की भूमि प[illegible] है। वादीया मृतक मातूराम की मृत्यु के बाद से उसकी विधवा [illegible] के कारण पें[illegible] भी प्राप्त करती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:25:58 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि वादीया जवान उम्र में ही विधवा हो गई थी। तथा वादीया के श्वसुर चौखाराम का भी देहान्त हो गया था इसलिये वादीया विधवा औरत होने से वह अपनी भूमि की काश्त के लिये प्रतिवादी सं. 3 को अपने साथ रखने लग गई व प्रतिवादी सं. 3 से अपनी इच्छा व अनूमिम से अपने हिस्से की भूमि काश्त करवाने लग गई प्रतिवादी सं. 3 अपने पिता भींवाराम के हिस्से में से 1/3 व वादीया की सम्पूर्ण भूमि में से 1/2 हिस्सा की भूमि को काश्त कर रहा है। वादीया व प्रति. सं. 3 का उम्र का भी अन्तर कम था एवं निरन्तर साथ रहने से उनका सम्बन्ध पति–पत्नि जैसा बन गया वर्तमान में भी वादीया व प्रतिवादी सं. 3 साथ साथ रहते है जिनके विधिक उत्तराधिकारी उनके बच्चे भी है। इस प्रकार वादीया वर्तमान में विवादित भूमि ख0न0 4, ख0न0 24, ख0न0 44, ख0न0 129, ख0न0 169, ख0न0 179/99 व ख0न0 180/102 कुल किता 7 कुल रकबा 13.99 है0 के 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 3 अपने 1/6 हिस्से पर काबिज काश्त है। तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 अपने पिता भींवा के 1/2 हिस्से में से 2/3 हिस्से की भूमि काश्त करते है। वर्तमान में वादीया ने अपने 1/2 हिस्से पर व प्रति0 सं0 3 ने अपने 1/6 हिस्से की भूमि पर चना, गेंहू व सरसों, जौं आदि की फसल काश्त कर रखी है।

5. यह कि वादीया को विवादित भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि उत्तराधिकार में अपने श्वसुर चौखा से प्राप्त हुई जिसकी वह खातेदार है। लेकिन प्रतिवादी सं. 1 व 2 एवं उनका पिता चालाक किस्म के व्यक्ति होने के कारण व वादीया के विधवा औरत होने का नाजायज लाभ उठाकर प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 के पिता ने सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी अकेले अपने नाम दर्ज करवा ली एवं वर्तमान में उक्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज है व गलत राजस्व रिकार्ड की आड में प्रति. सं. 1 व 2 वादीया को पिछले 2 माह से धमकी दे रहे है कि वे सम्पूर्ण भूमि मे खड़ी समस्त फसल को अकेले ही काटेंगे व लाटेगें तथा वादीया को उसका हिस्सा 1/2 की भूमि न तो काश्त करने देगें एंव न ही खड़ी फसल को प्राप्त करने देंगे। क्योंकि सम्पूर्ण भूमि के राजस्व रिकार्ड में उनका 2/3 हिस्सा दर्ज है। इस पर वादीया ने प्रति. सं. 3 से कहा एवं राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त की तब उसे पता चला की विवादित भूमि में उसका नाम बतौर खातेदार दर्ज ही नही है। इसलिये वादीया के लिये अपने खातेदारी अधिकारों के लिये यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:25:58 IST
Reason: SelfAttested

6. यह कि वाद पत्र के खण्ड नं. 1 में [illegible] मे 1/2 हिस्सा वादीया को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम ए[illegible] चौखाराम [illegible]त्र मातूराम की विधवा होने के कारण प्राप्त हो गया है। लेकिन वादीया के [illegible] औरत होने के कारण व राजस्व अधिकारी व कर्मचारियों से खुद इस बाबत [illegible]राजोई नही कर पाई व प्रतिवादी सं. 1

लगायत 3 व उनके पिता ने वादीया का 1 / 2 हिस्सा भी अपने ही नाम दर्ज करवा लिया जो दुरुस्ती योग्य है।

7. यह कि वाद पत्र के खण्ड. 1 में वर्णित भूमि में वादीया का 1 / 2 हिस्सा है। वादीया के श्वसुर चौखाराम की एकांकी खातेदारी में भूमि गत खसरा नंबर 12 व 24 दर्ज रही है जिस पर वादीया अब भी काबिज है। यदि वादीया के नाम विवादित भूमि का 1 / 2 हिस्सा या उसमें से भूमि गत खसरा नंबर 12 एवं 24 जिसके वर्तमान खसरा नंबर 24 रकबा 4.47 है0 एवं खसरा नंबर 44 रकबा 3.30 है0 दर्ज नही होती है एवं प्रति. सं. 1 व 2 वादीया को इस भूमि से बेदखल कर देते है तो वादीया को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मूद्रां में मूल्यांकन नही किया जा सकेगा।

8. यह कि दावा के लिये आधार विवाद पिछले 2 माह से प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा वादीया को यह धमकी देने से कि वे विवादित भूमि के 1 / 2 हिस्सा व भूमि हाल खसरा नंबर 24 व 44 में खड़ी फसल को वादीया को नही काटने देंगे एवं वादीया को इस भूमि से बेदखल करेंगे एवं वादीया को इस पर यह जानकारी होने पर कि उसके श्वसुर व पित से वादीया को प्राप्त ही भूमि की खातेदारी में उसका नाम दर्ज नही है से पैदा हुआ है। इसलिये दावा अन्दर मियाद है वैसे भी अधिकार घोषणा, खाता विभाजन व दुरुस्ती रिकार्ड के लिये कानून में कोई मियाद निर्धारित नही है।

9. यह कि विवादित भूमि वाके ग्राम जयसिंहसर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 में स्थित है जो न्यायालय श्रीमानजी की हदुद मे है। अतः यह वाद सुनवाई का न्यायालय श्रीमानजी को अधिकार प्राप्त है।

10. यह कि दावा घोषणात्मक व दुरुस्ती रिकार्ड के लियें 2.00 रुपये, खाता विभाजन के लिये 1.00 रुपये व स्थाई निषेधा के लिये 1.00 रुपये कोर्ट फीस नियत है अतः दावा कुल 4.00 रुपये कोर्ट फीस पर सेवा मे पेश है।

11. यह कि विवादित भूमि के संबंध में वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य अन्य कोई वाद लम्बित नही है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 एवं 3 के मध्य एक वाद बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा लम्बित है जिसको आधार बनाकर प्रति. सं. 1 व 2 वादीया को उसके हिस्से से वंचित करना चाहते है। जिसमें आगामी पेशी नियत है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि :–

(क) यह कि वाके ग्राम जयसिंहसर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 स्थित भूमि ख0 न0 4 रकबा 2.66 है0, ख0न0 24 रकबा 4.47 है0, ख0न0 44 रकबा 3.30 है0, ख0न0 129 रकबा 1.13 है0, ख0न0 169 रकबा [illegible] है0, ख0न0 179 / 99 रकबा 0.06 है0, ख0न0 180 / 102 रकबा 0.22 है0 किता 7 कुल रकबा 13.99 है0 में वादीया को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:25:58 IST
Reason: SelfAttested

1 / 2 हिस्सा की खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाने का आदेश देने की कृपा करे।

विकल्प में यदि चौखाराम की भूमि का खाता अलग से माना जाता है तो भूमि खसरा नंबर 24 रकबा 4.47 है0 एवं खसरा नंबर 44 रकबा 3.30 है0 किता 2 रकबा 7.77 है0 की खातेदारी काश्तकार वादीया को घोषित कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे।

(ख) कि वाद पत्र के खण्ड नं0 1 में वर्णित भूमि में वादीया के 1 / 2 हिस्सा भूमि का खाता अलग से विभाजित कर वादीया की एकांकी खातेदारी में दर्ज कर लगान कायम किया जावे तथा बाद विभाजन वादीया के हिस्से में भूमि खसरा नंबर 24 रकबा 4.47 है0 तथा खसरा नंबर 44 रकबा 3.30 है0 दिये जाने की प्राथमिकता दी जावे।

(ग) कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाद पत्र के खण्ड नं. 1 में वर्णित भूमि खसरा नंबर 4 रकबा 2.66 है0, ख0न0 24 रकबा 4.47 है0, ख0न0 44 रकबा 3.30 है0, ख0न0 129 रकबा 1.13 है0, ख0न0 169 रकबा 2.15 है0, ख0न0 179 / 99 रकबा 0.06 है0, ख0न0 180 / 102 रकबा 0.22 है0 किता 7 कुल रकबा 13.99 है0 में वादीया के 1 / 2 हिस्सा भूमि के कब्जा काश्त उपयोग–उपभोग में बाधा नही पंहुचाये। विवादित भूमि को रहन बैचान या अन्यत्र हस्तानान्तरित नही करे किसी तरह का कच्चा व पक्का निर्माण नही करें। चूंकि वादीया का मौके पर ख0न0 24 व 44 पर कब्जा है एवं फसल काश्त है जिसको काटने लाटने में वादीया को दखल नही देंवे एवं न स्वयं करे न ही किसी परिवारजन, मित्रगण या किसी अन्य से करावें।

(घ) कि वाद वादीया विरुद्व प्रतिवादीगण बहक वादीया डिक्री कर खर्चा मुकदमा वादीया को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे एवं अन्य कोई अनूतोष जो सहवन से आयाचित रह गया हो वादीया को दिलाया जावें।

राजीनामा के प्रथम व द्वितीय पक्ष निम्न प्रकार से राजीनामा करते है कि –

1. यह कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

2. यह कि संक्षेप में सारगर्भित तथ्य इस प्रकार से है कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी के समक्ष दो राजस्व वादपत्र क्रमशः संख्या 111 / 2002 बउनवानी ''नारायणी बनाम सुण्डाराम आदि'' अंतर्गत धारा 88, 53 व 188 रा. का.अ. 1955 के तहत एवं वादपत्र क्रमांक 318/2004 बउनवानी ''सुण्डाराम बनाम जुगलाल'' अंतर्गत धारा 53 व 188 रा.का.अ. 1955 के तहत वादग्रस्त आराजी स्थित ग्राम जयसिंहसर के वर्तमान खसरा नम्बरान क्रमशः 4, 24, 44, 129, 169, 179 / 99, 180 / 102 कुल किता 7 कुल रकबा 13.9900 है0 के बाबत प्रस्तुत हुये, जिसे विचारण न्यायालय ने समेकित निर्णय दिनांक 12.01.2006 से वादपत्र संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:25:58 IST
Reason: SelfAttested

318/2001 को खारीज करते हुये वादपत्र संख्या 111/2002 को प्राथमिक डिक्री करते हुये तहसीलदार बुहाना से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त दोनों समेकित निर्णय व डिक्री के विरुद्व कमशः दो अपीले संख्या 12/2006 बउनवानी "सुण्डाराम बनाम नारायणी" एवं अपील संख्या 21/2006 बउनवानी "सुण्डाराम बनाम जुगलाल" अंतर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955 के तहत विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिन्हे उन्हानें समेकित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2010 से खारीज फरमा दिया, जिनके विरुद्व प्रशनगत दो अपीले 2507/2010 व 2512/2010 बउनवानी "मनीराम बनाम नारायणी" अंतर्गत धारा 224 रा.का.अ. 1955 के तहत माननीय मण्डल के समक्ष प्रस्तुत होकर लम्बित है, जिसमें उभयपक्ष प्रश्नगत राजीनामा कर रहे है एवं दोनों अपीलों को मुताबिक राजीनामा निस्तारित करवाना चाहते है।

3. यह कि प्रश्नगत प्रकरण में यह एक निर्विवादित तथ्यात्मक स्थिति है कि प्रथम व द्वितीय पक्ष एक ही परिवार के व्यक्ति है इसलिये प्रथम एवं द्वितीय पक्ष विवादित आराजी के मौके पर अपने पारिवारिक सौहार्द्र, शान्ति, समन्वय बनाये रखने के लिये अर्न्तग्रस्त विवादित आराजी के संबंध में प्रश्नगत राजीनामा के अनुसार प्रश्नगत दोनों अपीलों का निस्तारण करवाना चाहते है अतः प्रश्नगत दोनों अपीलों को सौहार्द्रपूर्ण तरीके से पारस्परिक सहमति के आधार पर उभयपक्षों के मध्य आपसी मुकदमे बाजी को समाप्त करने के उद्वेश्य से प्रश्नगत प्रकरण का निस्तारण राजीनामा के अनुसार किया जाना न्यायोचित है।

4. यह कि मुताबिक राजीनामा खसरा नम्बरान कमशः 4 रकबा 2.66 है0, 44 मीन रकबा 0.77 है0, 129 रकबा 1.13 है0, 169 रकबा 2.15 है0, 179/99 रकबा 0.06 है0, 180/102 रकबा 0.22 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 6.99 है0 में अपीलान्टस फुलवती, राजेश, विनोद (मनीराम के वारीसान) का आधा हिस्सा तथा शेष आधा हिस्सा तीजादेवी, हवासिंह, निहालसिंह, सरोज, सुनीता (सुण्डाराम के वारीसान) का होगा। इसी प्रकार मुताबिक राजीनामा खसरा संख्या 24 रकबा 4.47 है0, 44 मीन रकबा 2.53 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 7 है0 में संतोषदेवी, दलीप, सुशीला (रामस्वरुप के वारीसान) का 1/3 हिस्सा तथा चम्पादेवी, सुनील, सुमन, मंजू राजपाल, मुकेश (श्रीराम के वारीसान) का 1/3 हिस्सा एवं शेष 1/3 हिस्सा फुलादेवी, कुलदीप, संदीप (सत्यवीर के वारीसान) का होगा। पक्षकारान द्वारा इसी राजीनामे को 50–50 रुपये के (दो [illegible] AF 583076 व AF 583077 मय दो हरे कागज कुल चार पेज) स्टाम्प प[illegible] दिन[illegible] 21.10.2019 को अंकित करवाते हुये उसे तहसील चिड़ावा में [illegible] भी त[illegible]क करवा दिया है, जो प्रश्नगत राजीनामे के साथ संलग्न होकर उसका एक भाग है। अतः प्रश्नगत दोनों अपीलों में विवादित खसरा नम्बरान के बाबत हिस्सो का [illegible]वाद उक्तानुसार तय हो जाने से स्पष्ट है कि उभयपक्षों के मध्य अब कोई विवाद स्वत्व/हिस्सों की घोषणा बाबत शेष नही रहा है इसलिये दोनों अपीलों का निस्तारण मुताबिक राजीनामा ही किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:25:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद संख्याः– 154 / 2021
(पुराना नम्बर 560 / 2010)
नारायणी आदि बनाम सुण्डाराम आदि
निर्णय दिनांकः– .11–10–2022

5. यह कि उक्त राजीनामा उभय पक्षों ने अपनी स्वैच्छा, बगैर किसी नशे–पते व दवाब के किया है जिसे सभी पक्षकारान ने अपनी भाषा में इसे पढ व सुनकर समझ लिया है एवं उक्त राजीनामा से हमेशा पाबन्द रहेंगे व विवादित भूमि के प्रश्नगत राजीनामे के संबंध में उभय पक्ष व इनके वारिसान किसी भी न्यायालय में मुकदमा नही लड़ेंगे, अतः दोनो प्रकरण का निस्तारण मुताबिक राजीनामा किया जाना न्यायोचित है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा प्रश्नगत दोनों अपीलों को स्वीकार फरमाते हुये विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन समेकित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.05. 2010 एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी द्वारा पारित समेकित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 12.01.2006 को निरस्त करते हुये प्रकरण में राजीनामे की मद संख्या 4 के अनुरुप प्रारम्भिक डिक्री निर्मित करते हुये उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव तबल कर अंतिम डिक्री बनाये जाने के आदेश विचारण न्यायालय को प्रदान किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदत्त फरमावें।

यह दावा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में के निर्णय दिनांक 19.7.2021 के द्वारा पक्षकरान में आपसी राजीनामा किये जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा विभाजन हेतु इस न्यायालय में प्रेषित किया है। माननीय न्यायालय से प्रकरण प्राप्त होने पर पुनः नम्बर पर दर्ज कर पक्षकारान को उपस्थित होने बाबत सूचित किया गया । पक्षकारान ने उपस्थित होकर आपसी राजीनामा पेश किया कर निवेदन किया कि प्रकरण खाता विभाजन का है इअसलिए मुताबिक राजीनामा प्राथमिक डिक्री जारी की जावे।

दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 01–04–2022 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट क्रमांक 2471 दिनांक 19–09–2022 (इस कार्यालय को प्राप्त दिनांक 20–09–2022) को प्राप्त हुई । अधिवक्ता वादीगण ने न्यायालय हाजा उपस्थित होकर निवेदन किया हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हम सहमत है, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। पक्षकारान ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादे डिक्री कि[illegible] पर सहमती जाहीर की। अतः न्यायालय मुताबिक डिक्री किया [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:25:58 IST
Reason: SelfAttested

—:: आदेश ::—

न्यायालय वाद वादीगण बाबत खाता व लगान विभाजन किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः ग्राम जयसिंहसर तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0 स्थित भूमि ख0 न0 4 रकबा 2.66 है0, ख0न0 24 रकबा 4.47 है0, ख0न0 44 रकबा 3.30 है0, ख0न0 129 रकबा 1.13 है0, ख0न0 169 रकबा 2.15 है0, ख0न0 179/99 रकबा 0.06 है0, ख0न0 180/102 रकबा 0.22 है0 किता 7 कुल रकबा 13.99 है0 भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ—1 लगायत अ—2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ—1 लगायत अ—2" व नक्शा प्रदर्श " ब" के अलग—अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग—अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ—1 लगायत अ—2" व नक्शा प्रदर्श " ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 11-10-2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:25:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद संख्या:– 154/2021
(पुराना नम्बर 560/2010)
नारायणी आदि बनाम सुण्डाराम आदि
निर्णय दिनांक:– .11–10–2022

वाद में डिक्री (अंतिम)
डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

1. नारायणी देवी पत्नि जुगलाल (फौत)
1/1 चम्मा देवी पत्नि श्रीराम
1/2 दलीप पुत्र रामस्वरुप
1/3 संदीप पुत्र सत्यवीर
1/4 कुलदीप पुत्र सत्यवीर समस्त जाति जाट निवासी जयसिंह सर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
2/1 जुगलाल पुत्र भींवाराम (मृतक)
2/1 रामस्वरुप (फौत)
2/1/1 सन्तोष देवी पत्नि रामस्वरुप
2/1/2 दलीप पुत्र रामस्वरुप
2/1/3 सुशीला पुत्री रामस्वरुप
2/2 श्रीराम पुत्र जुगाराम (फौत)
2/2/1 चम्मा देवी पत्नि श्रीराम
2/2/2 सुनिल पुत्र श्रीराम
2/2/3 सुमन पुत्री श्रीराम
2/2/4 मन्जु पुत्री श्रीराम
2/2/5 राजपाल पुत्र श्रीराम
2/2/6 मुकेश पुत्री श्रीराम
2/3 सत्यवीर पुत्र जुगाराम (लापता 10 वर्षो से)
2/3/1 फुला देवी पत्नि सत्यवीर
2/3/2 कुलदीप पुत्र सत्यवीर
2/3/3 संदीप पुत्र सत्यवीर समस्त जाति जाट निवासी जयसिंह सर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0

.....................वादी

बनाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:25:58 IST
Reason: SelfAttested

1. मनीराम पुत्र भींवाराम (मृतक)
1/1 फूलवती पत्नि मनीराम
1/2 विनोद पुत्र मनीराम
1/3 राजेश पुत्र मनीराम

2 सुन्डाराम पुत्र भींवाराम
2/1 तीजा पत्नि सुन्डाराम
2/2 निहालसिंह पुत्र सुन्डाराम
2/3 हवासिंह पुत्र सुन्डाराम
2/4 सरोज पुत्री सुन्डाराम
2/5 सुनिता पुत्री सुन्डाराम
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बुहाना

............प्रतिवादीगण

दावा—घोषणात्मक व खाता विभाजन एवं रिकॉर्ड दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

राजस्व वाद संख्याः— 154/2021 (पुराना नम्बर 560/2010)
निर्णय दिनांक :— 11—10—2022

वादीगण की ओर से **श्री प्रवीण मीणा एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से **श्री महवीर चौधरी** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **11—10—.2022** को **सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना** के समक्ष **अंतिम** निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :—

"न्यायालय वाद वादीगण बाबत खाता व लगान विभाजन किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः ग्राम जयसिंहसर तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0 स्थित भूमि ख0 न0 4 रकबा 2.66 है0, ख0न0 24 रकबा 4.47 है0, ख0न0 44 रकबा 3.30 है0, ख0न0 129 रकबा 1.13 है0, ख0न0 169 रकबा 2.15 है0, ख0न0 179/99 रकबा 0.06 है0, ख0न0 180/102 रकबा 0.22 है0 किता 7 कुल रकबा 13.99 है0 भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ—1 लगायत अ—2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ—1 लगायत अ—2" व नक्शा प्रदर्श " ब" के अलग—अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग—अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ—1 लगायत अ—2" व नक्शा प्रदर्श " ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे।"

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख **11—10—2022** को मेरे हस्ताक्षर [illegible] न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:25:58 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना